पटना नगर निगम
प०क्षे०वि०प्रा०(वि०)
मौर्यालोक कम्पलेक्स पटना–1

संलेख

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील वाद सं0–1382 / 2015 में याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2224 / 13 में दिनांक–03.10.2017 को न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन

अवस्थाः– माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2224 / 13 में दिनांक–03.10.2017 को न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन में परिवहन नगर स्थित भूखण्ड सं0–बी / 27 इस कार्यालय के पत्रांक–1980 दिनांक–06.08.2003 द्वारा श्री पंकज कुमार के साथ 3000 वर्गफीट का भूखण्ड मो0–216 / –प्रति वर्गफीट की दर से आवंटित की गयी थी। आवंटन पत्र के आलोक में आवंटी श्री कुमार द्वारा जमानत राशि मो0–40,000 / –रू0 के अतिरिक्त मो0–1,00,000 / –का भुगतान दिनांक–11.09.2003 को की गयी थी।

दिनांक–27.04.2005 को परिवहन नगर स्थित भूखण्डों का दर तत्कालीक प्राधिकार पर्षद द्वारा पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित दर मो0–216 / –रू0 से बढ़कर 314 / –रू0 प्रति वर्गफीट के अनुसार उक्त भूखण्ड बी / 27 का दर मो0–9,42,000 / –रू0 निर्धारित की गयी है। पर्षद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन आवंटी के द्वारा मूल्य की राशि समय (आवंटन पत्र में निर्धारित अवधि पांच किस्त–13 माह) पर भुगतान नहीं किया गया है, उनसे भी पुनरीक्षित दर के आधार पर राशि प्राप्त की जाय।

भूखण्ड का मूल्य वृद्धि के कारण दिनांक–14.12.2005 को श्री पंकज कुमार ने अपने आवेदन द्वारा राशि भुगतान में असमर्थता व्यक्त करते हुए जमा राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया गया। उनकी परिस्थिति को देखते हुए आवंटी के अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्र सं0–635 दिनांक–12.09.2007 द्वारा आवंटन को रद्द कर दिया गया है। पत्रांक सं0–83 दिनांक–17.01.2008 द्वारा सूचित किया गया कि आवंटन पत्र की कंडिका 03 के आलोक में जमा जमानत राशि मो0–40,000 / –रू0 जप्त करते हुए शेष जमा राशि वापस की जा रही है। राशि प्राप्ती के लिए मुख्य लेखा पदाधिकारी, पटना नगर निगम से सम्पर्क कर लें, प्रति संलग्न।

मुख्य लेखा पदाधिकारी, पटना नगर निगम के पत्रांक–747 दिनांक–27.05.2008 द्वारा आवंटी को चेक सं0–042278 दिनांक–25.04.2008 द्वारा भूखण्ड सं0–बी / 27 के विरूद्ध आवंटी द्वारा जमा किया गये राशि को वापस कर दिया गया है।

आवेदक द्वारा उद्धारण दिया गया है कि परिवहन नगर भूखण्ड सं0–डी / 7 एवं बी / 29 को रद्द होने के पश्चात् पुनर्जीवित किया गया है। इस संदर्भ में उल्लेख करना है कि भूखण्ड सं0–डी / 7 एवं बी / 29 के आवंटन को रद्द किया गया था। परन्तु भूखण्ड के विरूद्ध आवंटी द्वारा जमा की गयी राशि वापस नहीं ली गयी थी। दोनों आवंटीयों के अनुरोध पर एक मुस्त बकाया राशि भुगतान करने पर भूखण्ड सं0–बी / 29 का पुनर्जीवित इस कार्यालय के पत्रांक–1763, दिनांक–29.12.2008 एवं भूखण्ड सं0–बी / 7 का पुनर्जीवित इस कार्यालय के पत्रांक–1026, दिनांक–17.06.2009 द्वारा करने का आदेश दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि परिवहन नगर स्थित भूखण्ड सं0–बी / 27 का आवंटन श्री पंकज कुमार के अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक–635 दिनांक–12.09.2007 से रद्द कर दिया गया है तथा श्री कुमार के अनुरोध पर ही उनके द्वारा जमा राशि वापस प्राप्त कर ली गयी है अतः उनके द्वारा राशि वापस करने के उपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन पूर्ण रूप से रद्द हो चुका है। भूमि निस्तार नियमावली में आवंटन करने का प्रावधान है कि भूखण्ड आवंटन के लिए आम–सूचना प्रकाशित होने के

उपरान्त आवेदक से उच्चतम ऑफर देने पर आवंटन किया जायेगा। चूकि इस मामले में न्यायालय से आदेश पारित है।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2224/13 में दिनांक–03.10.2017 को न्यायालय से पारित आदेश में आदेशित है कि आवेदक द्वारा व्यक्त किये गये सहमति के आधार पर यदि आवेदक वर्तमान दर पर भूखण्ड लेने के इच्छुक हैं तो उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

प्रस्तावः– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि आवेदक वर्तमान दर पर भूखण्ड के लिए एकमुस्त राशि जमा करते हैं तो भूखण्ड सं0–बी/27 का आवंटन पर विचार की जा सकती है। यह आवंटन केवल भूखण्ड सं0–बी/27 के लिए मान्य होगा किसी अन्य मामलों में पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा। PRDA (Disposal Of Land) Rule-1978 में उल्लेखित नियम एवं धारा के तहत निर्णय लेने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2224/13 में दिनांक–03.10.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में परिवहन नगर स्थित भूखण्ड सं0–बी/27 वर्तमान दर पर एकमुस्त राशि प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक के साथ आवंटन करने संबंधी सम्पूर्ण विषय सशक्त स्थायी समिति / निगम बोर्ड में विचार / निर्णय लेने हेतु ***"बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति का संचालन नियमावली, 2010 के नियम 9 (1) (क)"*** के अन्तर्गत नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अनुशंसा करते है।

14/11/17

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक–11719 / प0क्षे0वि0प्रा0(वि0) प0न0नि0, पटना, दिनांक–14/11/2017
प्रतिलिपि :–नगर सचिव, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं माननीय महापौर से संलेख पर अनुमोदन प्राप्त कर अगामी सशक्त स्थायी समिति/निगम बोर्ड की बैठक में उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

14/11/17

भू–सम्पदा पदाधिकारी
पटना नगर निगम, पटना।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION